Court of A.C.J.M.I Biraul.

<u>Biraul P.S.-401 /17</u>
G.R.- 775/17

<u>29. 06. 2020</u>

प्रस्तुत कांड में अनुसंधानकर्ता ने आरोप–पत्र एवं वाद दैनिकी भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354, 448, 504, 34 के अंतर्गत अप्राथमिकी अभियुक्त बदरुल हक एवं चार अन्य जिनका नाम आरोप–पत्र की कंडिका 11(i) में अंकित है, के विरूद्ध समर्पित किया गया है।

प्राथमिकी, आरोप–पत्र, वाद–दैनिकी सहित अभिलेख पर उपलब्ध सभी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अवलोकनोपरांत प्राथमिकी अभियुक्त बदरुल हक एवं चार के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 448, 504, 34 के अंतर्गत अपराध का प्रथम दृष्टया मामला बनता हुआ पाया जाता है।

तद्नुसार आरोप–पत्रित अभियुक्त **1. बदरुल हक 2. कमरुल होदा 3. लाल मोहम्मद 4. सफीकुर रहमान एवं 5. फसीउर रहमान** के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा 341, 323, 354, 448, 504, 34 के अंतर्गत अपराध का संज्ञान लिया जाता है।

वाद को विधिवत विचारण एवं निष्पादन हेतु अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी तृतीय के न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाता है।

कार्यालय अभियुक्तों की उपस्थिति हेतु समन निर्गत करे।
दिनांक 13. 08. 2020 वास्ते उपस्थिति।

(लेखापित)

अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम।